Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub :- Financial Accounting (Hons)
Paper :- 1st
SNSRKS College, Saharsa
B.Com Part :- 1st

* Introduction

** Meaning And Merit-Demerit of Indian Accounting System **
(भारतीय बहीखाता के लाभ एवं दोष)

भारतीय बहीखाता पद्धति का इतिहास पुराना है जबकि अंग्रेजी पद्धति का अत्यन्त नवीन। भारतीय पद्धति दोहरे लेखे के सिद्धान्तों पर ही निर्भर है और अंग्रेजी पद्धति के समान वैज्ञानिक और पूर्ण है। कम्पनीज़ अधिनियम, 1956 में यह कहीं भी नहीं दिया है कि सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ अपने लेखे इंग्लिश प्रणाली में रखें। अतः इन कम्पनियों में भी भारतीय बहीखाता प्रणाली का प्रयोग हो सकता है।

* भारतीय बहीखाता के लाभ एवं दोष *

लाभ :- भारतीय बहीखाते के निम्नांकित लाभ हैं :-

(1) विभिन्न प्रकार के लेन-देनों को याद रखने में सुविधा होती है, क्योंकि लिखित में होने के कारण उन्हें भविष्य में कभी भी देखा जा सकता है।

(2) बहीखाते का सन्दर्भ देकर ग्राहकों में लेन-देन सम्बन्धी विवाद सहज ही निपटाये जा सकते हैं।

(3) यदि न्यायालय में जाना पड़े, तो हिसाब-किताब की बहियाँ साक्षी के रूप में काम आती हैं।

(4) उचित रूप से किया गया बही खाता विभिन्न प्रकार के करों (जैसे बिक्री-कर एवं आय-कर) के निर्धारण एवं भुगतान में सहायता होता है।

(5) कर्मचारियों द्वारा छल-कपट करने पर रोक लगती है, क्योंकि

Date : .....
Page : .....

हिसाब-किताब रखा होने से इसका सहज ही ज्ञान हो जाता है।

(6) व्यापार की लाभ-हानि, सम्पत्ति, दायित्व और देनदार-लेनदार सम्बन्धी ज्ञान विभिन्न प्रकार के खातों और लेखों से सहज ही हो जाता है।

(7) व्यापार में लगातार हानि होने पर जब व्यापारी अपने व्यापारिक भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है और लेनदारों और तगादों से परेशान होकर न्यायालय में स्वयं को दिवालिया घोषित करने के लिए प्रार्थना-पत्र देता है तब वह अपने खातों को दिखाकर न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर सकता है।

(8) व्यवसाय को बेचने में सुविधा होती है, क्योंकि क्रेता को खाते दिखाकर उचित मूल्य का विश्वास दिलाया जा सकता है।

दोष :- बहीखाता प्रणाली में कोई दोष नहीं है। यदि दोष है, तो यह मुनीम या अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों की अयोग्यता एवं बेईमानी के कारण है। दुहरी बहियां रखकर कुछ व्यापारी कर से बचने की चेष्टा करते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय बहीखाता पद्धति का इतिहास पुराना है जबकि अंग्रेजी पद्धति का अत्यन्त नवीन। भारतीय पद्धति दोहरे लेखे के सिद्धान्तों पर ही निर्भर है और अंग्रेजी पद्धति के समान वैज्ञानिक और पूर्ण है। कम्पनीज अधिनियम 1956 में भी यह कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ अपने लेखे इंग्लिश प्रणाली में रखें। अतः इन कम्पनियों में भी भारतीय बहीखाता प्रणाली का प्रयोग हो सकता है।